□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1050
22 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एन॰एच॰एम॰ के तहत बाल स्वास्थ्य कायक्रम

1050. श्री बी॰वाई॰ राघवेन्द्रः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बाल स्वास्थ्य कायक्रम लागू करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इसके कब तक लागू होने को संभावना है; और
(घ) यह किस रूप म परिवार और बच्चों हेतु लाभकारी साबित हो सकता है?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क) से (घ): भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिणामों को सुधारने के लिए प्रजनन, मातृत्व, नवजात, बाल, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएचएएन) कायनीति कायान्वित कर रही है।

आरएमएनसीएचए+एन कायनीति के तहत विभिनन क्रियाकलाप निम्नवत ह:

(1) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतगत नकद प्रोत्साहन राशि के जरिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना और जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम (जेएसएसके), जिसम सरकारी स्वास्थ्य कद्रों म प्रसव कराने वाली सभी गभवती महिलाएं पूणत: निशुल्क प्रसव-पूव जांचों, सिजेरियन सेक्शन सहित प्रसव, प्रसवोत्तर परिचया एवं बीमार बच्चों का उपचार एक वष तक करवाने हेतु पात्र होती ह। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) गभवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं को 5000 रुपए प्रोत्साहन देने वाली एक और मातृ लाभ कायक्रम कायक्रम है।

(2) व्यापक और गुणवत्ता युक्त प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ ए) सेवाएं प्रदान करने हेतु सभी प्रसव स्थलों पर अनिवाय नवजात परिचया सुदृढ करना, विशेष नवजात परिचया एकक (एसएनसीयू), नवजात स्थिरीकरण एकक

(एनबीएसयू) तथा रूग्ण एवं छोटे बच्चों को पर्यचया के लिए कंगारू माता पर्यचया (केएमसी) प्रदान करने के लिए प्रसव स्थलों पर स्थापना करना। बाल लालन-पोषण संबंधी पर्यपार्टियों म सुधार लाने के लिए आशाओं द्वारा गृह-आधार्यरित नवजात पर्यचया (एचबीएनसी) तथा गृह आधार्यरित युवा बाल पर्यचया (एचबीवाईसी) प्रदान को जा रही है।

(3) महिला और बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से स्तनपान जल्दी शुरू करवाने तथा पहले छह माह म अनन्य रूप से स्तनपान करवाने के लिए एवं नवजात तथा छोटे बच्चों को आहार संबंधी पर्यपार्टियों (आईवाईसीएफ) को मां का असीम स्नेह (मां) के तहत बढ़ावा दिया जाता है।

(4) स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सहित मातृ एवं बाल पर्यचया के संबंध म जागरूकता फैलाने तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) मनाए जाते ह। मास मीडिया अभियान के जर्यिए स्वस्थ पर्यपाटी और सेवा लेने के लिए हेतु मांग सृजन के लिए स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा को संवर्धित किया जाता है।

(5) चिर्कित्सीय जर्यटलताओं के साथ भर्ती किए गए गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित बच्चों के उपचार और प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य कद्रों म पोषण पुनवास कद्रों (एनआरसी) को स्थापना को गई है।

(6) अनेक जीवनघाती रोग जैसे क्षयरोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टिटनेस, हेपाटाईटिस बी तथा खसरे के प्रति बच्चों का टीकाकरण करने के लिए सावभौमिक प्रतिरक्षण कायक्रम (यूआईपी) को कायान्वित किया जा रहा है। रोटा वायरस डार्यरिया के निवारण हेतु देश म रोटा वायरस टीका भी लगया गया है। ऐसे बच्चों को पूणतया प्रतिरक्षित करने हेतु ''मिशन इंद्रधनुष'' शुरु किया गया है जिनका पहले टीकाकरण नहों किया गया हो अथवा आंशिक रूप से टीकाकरण किया गया हो; जो विभिन्न कारणों से नेमी प्रतिरक्षण के दौरों के दौरान कवर नहों किए गए हों। गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 2.0 देश म 90% संपूण प्रतिसक्षण कवरेज प्रपट करने के लिए रोड़ मेप के अनुसार चलाया जा रहा है।

(7) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कायक्रम के तहत रोगों कमियों, विकारों तथा विकास विलंब- 4डी म 30 स्वास्थ्य पर्यस्थितियों के लिए जांच किए गए 0 से 18 वष को आयु के सभी बच्चों को वर्गीकृत किया गया है। 4डी को पुष्टि और प्रबंधन हेतु जिला स्वास्थ्य कद्र स्तर पर जिला शीघ्र क्रियाकलाप कद्र स्थापित ह।

(8) बच्चों म कृमिनाशन हेतु प्रत्येक वष म दो बार राष्ट्रीय कृमिनाशन दिवस मनाया जाता है (1 से 19 वष को आयु तक)।

(9) प्रसवपूव, प्रसवकालीन एवं प्रसवोत्तर पर्यचया तथा कायक्रमानुसार पूण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने हेतु माताओं तथा दो वष को आयु तक के बच्चों को नाम आधार्यरित ट्रैकिग (माता और शिशु ट्रैकिग प्रणाली) को जाती है।

(10) गभावस्था के दौरान का आधारभूत व व्यापक प्रसूति पर्यचया व प्रसूति के समय अनिवाय पर्यचया तथा शिशु म स्वास्थ्य पर्यचया प्रदाता का कौशल निमाण करने व उन्नत करने के लिए भिन्न प्रशिक्षण चलाए जा रहे ह।

उपयुक्त कायक्रम और योजना के अलावा एनएमएनसीएचए+एन के तहत नई पहल निम्नवत ह:

(क) सभी गभवती महिलाओं को प्रत्येक माह को 9 तारीख को वैश्विक रूप से आश्वस्त, व्यापक और गुणवत्तापरक निश्चित दिवस प्रसव पूव परिचया प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएएम) का आरंभ किया गया है।

(ख) 'लक्ष्य' कायक्रम का लक्ष्य है प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर म गुणवत्तापरक परिचया सुधारना।

(ग) सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) महिला स्वाधीकार और अस्मिता हेतु सम्मान सहित सेवा मना करने पर शून्य वहनता, जटिलताओं के आश्वस्त प्रबंधन, बिना लागत गुणवत्तापरक मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य प्रदानगी पर फोकस है।

(घ) डार्यारिया को समाप्त करना (डी2) पहल वष 2025 तक ओआरएस और जिक उपयोग के संवधन और डार्यारिया के कारण मौतों के उन्मूलन हेतु आरंभ को गई है।

(ङ) निमोनिया के कारण बाल्यावस्था, रुग्णता और मृत्यु को कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता और न्यूट्रलाइट निमोनिया के प्रति सफलतापूवक कारवाई पहल (सांस)।

(च) पोषण अभियान के भाग के रूप म एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कायनीति का लक्ष्य एनीमिया से निपटने हेतु मौजूदा प्रणालियों और तीव्र नई कायनीतियों को सुदृढ़ करना है जिसम स्कूल जाने वाले किशोर किशोरियां व गभवती महिलाओं म एनीमिया को जांच व उपचार, एनीमिया के गैर पोषक कारणों का निपटारा तथा व्यापक संप्रेषण कायनीति शामिल है।

*****

नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस भारत के महापंजीयक के अनुसार 5 वष को आयु के अंदर विगत 5 वष 2013 से 2017 का विवरण निम्न वत है 5 वष से कम आयु के बच्चों को मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2013 से 2017 भारत सरकार देश म शिशु और मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए प्रजनन मातृत्व नवजात शिशु किशोर स्वास्थ्य तथा पोषण आर एम एन सी एच ए प्लस एंड कायान्वित कर रही है नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस भारत के महापंजीयक के अनुसार देश म शिशु मृत्यु पर वष 2013 म प्रति 1000 जन्म पर 49 से घटकर वष 2017 म प्रति 1000 जीवित जन्म पर 37 तक कमी हुई है आर एम एन सी एच ए प्लस वन काय नीति के तहत विधिक विभिन्न कायकलाप निम्न वत ह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कायक्रम के तहत रोगों कमियों विकारों तथा विकास विलंब पड़ी म 4D म 30 स्वास्थ्य परिस्थितियों के लिए जांच किए गए 0 से 18 वष को आयु के सभी बच्चों को वर्गीकृत किया गया है 40 को पुष्टि और प्रबंधन हेतु जिला स्वास्थ्य कद्र स्तर पर जिला शीघ्र कायकलाप कद्र स्थापित है बच्चों के कृषक हेतु प्रत्येक वष म दो बार राष्ट्रीय कृमि नाशक दिवस मनाया जाता है 1 से 19 वष को आयु तक उपयुक्त कायक्रम और योजना के अलावा एन एम एन सी एच ए एन के तहत नई पहले सभी गभवती महिलाओं को प्रत्येक माह को 9 तारीख को जोखिम रूप से अस्वस्थ व्यापक और गुणवत्ता परक निश्चित दिवस प्रसव पूव परिचया प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान बीएमएस m.a. का आरंभ किया गया है कायक्रम का लक्ष्य है प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर म गुणवत्ता परक परिचया सुधारना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन महिला स्वाधीन आर और अस्मिता हेतु सम्मान सहित सेवा मना करने पर 0 रन था जटिलताओं के आश्वस्त प्रबंधन बिना लागत गुणवत्ता परक मातृत्व नवजात स्वास्थ्य पर अदायगी पर फोकस है रिया को हराना d2l 2025 तक ओआरएस और पिक उपयोग के संवधन डायरिया के कारण मौतों के उन्मूलन के लिए आरंभ किया गया है निमोनिया के कारण बाल्यावस्था रुग्णता और मृत्यु को कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता तथा न्यूट्रलाइट निमोनिया के प्रति सफलता पूवक कारवाई पोषण अभियान के भाग के रूप म एनीमिया मुक्त भारत a.m.s. काय नीति का लक्ष्य निमिया से निपटने हेतु मौजूदा प्रणालियों और नीतियों को सुदृढ करना है जिसम स्कूल जाने वाले किशोर किशोरियों व गभवती महिलाओं म एनीमिया को जांच व उपचार एनीमिया के जैसे पोषक कारणों को निपटारा तथा व्यापक संप्रेषण कायनीति शामिल है